



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 493/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को दिनांक 06-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 25, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 25, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2003) में अग्रेतर संशोधन हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की
धारा 21 की उपधारा
(2) में एक नया
परन्तुक जोड़ा जाना

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 21 की उपधारा (2) में, पांचवें परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :-

“प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, जहां राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी मामले में या मामलों के वर्ग में इस उपधारा के अधीन निर्धारित समय के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करना कठिन होगा, तो वह राजपत्र में अधिसूचित करके, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये निर्धारित समय सीमा को बढ़ा सकती है”।

धारा 28-क
का संशोधन

3. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में-

(1) धारा 28-क की उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(क) आयातकर्ता, पारेषक (कन्साइनर) को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाला गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियां और ऐसे अन्य लेख-पत्र, जो निर्धारित किये जायं, ले जायेगा और ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति :-

(एक) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर धारा 28 के अधीन कोई जांच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जांच चौकी या नाके को पार करने से पहले ऐसी जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, और

(दो) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा और माल सहित घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख-पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा।”

(2) उपधारा (2) का खण्ड (ग) विलोपित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation & Modification Order, 2002) (Third Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 25 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06-01-2004.

No. 493/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948)
(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002)
(THIRD AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 25 OF 2003)

further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948)
(Adaptation and Modification Order, 2002) Act, 2003 (Act no. 03 of 2003)

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted by the State Assembly in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Third Amendment) Act, 2003.

Short title,
Extent and
Commencement

(2) It extends to whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. In The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002), in sub-section (2) of Section 21 the following proviso shall be added after the fifth proviso :

Addition of a
new proviso in
sub-section (2)
of Section 21 of
principal Act

“Provided also that notwithstanding any thing contained in this sub-section, where the State Govt. is of the opinion that due to any extra-ordinary circumstances prevalent at the time in the State or any part of it, it will be difficult to complete assessment or reassessment in any case or class of cases within the time prescribed under this sub-section, it may, by notification in the Gazette extend the time limit prescribed under this sub-section for making assessment or reassessment in such a case or class of cases”.

3. In The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002)--

Amendment of
Section 28-A

(1) In sub-section (2) of Section 28-A for clause (a) the following clause shall be substituted namely:--

“(a) the importer shall furnish to the consignor the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him and the driver or any other person-in-charge of any vehicle carrying any such goods shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consignor in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed and shall deliver one copy of such declaration :--

(i) where such goods are brought by a road on which a check-post or barrier is established under Section 28, to the officer-in-charge of such check-post or barrier before crossing the check-post or barrier, and

(ii) where such goods are brought by a road on which no such check-post or barrier is established, to the officer-in-charge of the nearest check-post or barrier established under the said Section before transporting such goods further within the State.

And the other copy of the declaration and the remaining documents along with the goods to the importer or his agent.

(2) In sub-section (2) clause (c) shall be deemed omitted.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.